



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

संख्या :: 211/23/E-01/DR/PCS/2023-24

दिनांक :: 01 अक्टूबर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या- A-2/E-1/PCS/2023-24, दिनांक 14 मार्च, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के सापेक्ष दिनांक 16 नवम्बर, 2024 से 19 नवम्बर, 2024 तक आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-03 के अनुसार निस्तारित कर दिये गये हैं-

क्र. सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री	निस्तारण
01.	सुश्री शैलजा शर्मा (अनुक्रमांक-160512)	अभ्यर्थिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र में नाम में भिन्नता संबंधी किये गये अनुरोध पर नाम परिवर्तन हेतु मुख्य परीक्षा उपरान्त अभिलेख सत्यापन के समय आयोग के निर्धारित प्रारूप स्वघोषणा प्रपत्र भरवाने के निर्देश के साथ प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
02.	श्री अभिषेक राणा (अनुक्रमांक-244768)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत कला स्नातक भरा गया है, परन्तु अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत विधि स्नातक में Yes किया गया है। 02. अभ्यर्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिवश अधिमानी अर्हता में विधि स्नातक का दावा किया गया है। अतः प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अधिमानी अर्हता का दावा खारिज करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
03.	श्री सतवीर सिंह (अनुक्रमांक-173535)	आयोग कार्यालय द्वारा परीक्षा कैलेंडर हेतु निर्गत पत्रांक संख्या- 09/2024-25 हरिद्वार, दिनांक 30 अगस्त, 2024 एवं विज्ञप्ति संख्या-173/23/E-01/DR/PCS/2023-24, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)-2024 का आयोजन दिनांक 16 नवम्बर, 2024 से 19 नवम्बर, 2024 तक किया जाना निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।